प्रकीर्ण वाद संख्या १५८/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ५०९/२०१७)
श्रीमती सूर्यमुखी आदि बनाम मैसर्स मीनाक्षी मेटल इण्डस्ट्रीज आदि

२४.११.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती सूर्य मुखी एवं कर्ण प्रताप द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका सुलहनामा के आधार पर निर्णीत हो चुकी है, जिसमें पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा ₹ ३,४८,००० न्यायाधिकरण के खाते में जमा कर दिया है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार उक्त जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि उन्हें दिलाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने समर्थन में ४सी२ शपथपत्र श्रीमती सूर्यदेवी, अपने आधार कार्ड व पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को ३बी पर सुना गया तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. ५०९/२०१७ श्रीमती सूर्य मुखी आदि बनाम मैसर्स मीनाक्षी मेटल इण्डस्ट्री आदि की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया श्रीमती सूर्य मुखी ने अपने शपथपत्र ४सी२ में ३बी प्रार्थनापत्र का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध कोई अपील लंबित नहीं है न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक २२.०२.२०२० को सुलहनामा के आधार पर ₹ ३,४८,००० का एवार्ड पारित किया गया है। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. १ व २ प्रत्येक ₹ १,७४,००० प्राप्त करेगे तथा प्रत्येक याची की ₹ १,३९,२०० प्रतिकर की धनराशि ३ वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में जमा किया जाना है जिसका मासिक ब्याज याचीगण प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक याची ₹ ३४,८०० एकाउण्ट पेयी चेक/आर.टी.जी.एस के माध्यम से प्राप्त करेंगे। कार्यालय आख्या के अनुसार सिंडीकेट बैंक गोबिन्द चौराहा झाँसी में दिनाँक ०७.०८.२०२० को ₹ **३,४८,०००** जमा होने का इन्द्राज है। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुसार जमाशुदा धनराशि अपने-अपने बैंक खाते मे जरिए आर.टी.जी.एस. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ५०९/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. १५८/२०२० श्रीमती सूर्य मुखी आदि बनाम मैसर्स मीनाक्षी मेटल इण्डस्ट्री आदि) के प्रकरण में प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान कर दें:-

Applicant/ petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Surya Mukhi	139200	40	FD for 3 Years, Monthly interest of which shall be paid in her account	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt. Surya Mukhi	34800	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	7280000100067140	Punjab National Bank Jhansi	PUNB0728000
2. Karn Pratap Singh	139200	40	FD for 3 Years Monthly interest of which shall be paid in her account	___	Any Nationalized Bank	____
2. Karn Pratap Singh)	34800	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010009600	Syndicat Bank Govind Chauraha Jhansi.	SYNB0009235
Total	**348000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.24 16:46:08 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI